न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–38/2018–19

श्री फतन महतो...अपीलार्थी

बनाम

झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी, बुण्डू, राँची...प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
28.07.18	अपीलार्थी श्री फतन महतो, पिता–श्री चुनवा महतो, ग्राम–ताऊ, डाकघर–बुण्डू थाना–बुण्डू जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–206 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–19/02/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
ताऊ	बुण्डू/0027	334	1098	15.5 डीसमील

अपीलार्थी सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–206 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–19/02/2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि जमाबंदी पंजी।। में परेश महतो वगैरह के नाम पर दर्ज है. विक्रेता पंजी।। रैयत का भाई है. भूमि पर क्रेता का दखल है. आवेदित भूमि गैरमजरूआ आम/खास/बकास्त/भुईंहरी से बाहर है। नामांतरण हेतु आवेदित भूमि संयुक्त खाते की है तथा पूर्व में इस खाते से अन्य लोग दवारा भी भूमि की बिक्री की गई है, जिनका नाम आवेदन के साथ संलग्न वंशावली में दर्ज नहीं है। जिससे वंशावली संदिग्ध प्रतित होती है। त्रुटि निराकरण हेतु दिनांक–12/02/2018 को सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए आवेदक को सूचित किया गया, परंतु सुनवाई की तिथि को आवेदक मूल कागजातों के साथ उपस्थित नहीं हुए। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनते हुए उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों एवं वंशावली की जाँच पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

28/07/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

28/07/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।